# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:– शिविरा / प्रारं / नियुप्रको / नियु–2 / 982 / टीजीटी–2016 / ले.–2 / 2016–17        दिनांक :२९.९.2017

**राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित)**
**विज्ञापन संख्या 01 / 2017 एवं 02 / 2017**

**विषयः–तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय के लिए जारी विज्ञप्ति के 01 / 2017 दिनांक 11.09.2017 के बिन्दु संख्या 8.1 (xiii) तथा 02 / 2017 दिनांक 11.09.2017 के बिन्दु संख्या 8.1 (xii) आयु सीमा के संबंध में है, के संबंध में संशोधन**

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01 / 2017 दिनांक 11.09.2017 की विस्तृत विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 8.1 (xiii) तथा विज्ञापन संख्या 02 / 2017 दिनांक 11.09.2017 की विस्तृत विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 8.1 (xii) में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदो और राज्य के पब्लिक सैक्टर, उपक्रमों / निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष का प्रावधान रखा गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के प्रावधानों के अनुसार उक्त बिन्दु का परिक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि राज्य के पब्लिक सैक्टर, उपक्रमों / निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं है। अतः राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के अनुसार निम्नानुसार विज्ञप्ति के 01 / 2017 दिनांक 11.09.17 के बिन्दु संख्या 8.1 (xiii) तथा 02 / 2017 दिनांक 11.09.2017 के बिन्दु संख्या 8.1 (xii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, शेष शर्ते पूर्ववत ही रहेगी –

**''पचायतों के सचिव के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तीन वर्षो की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी। जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिए ऊपरी सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।''**

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर